कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल/उमरिया (मध्य प्रदेश)
Email _id shahdol@mptownplan.gov.in Ph 07652 292153

क्रमांक/ 02 /लेखा/नग्रानि/2023 शहडोल,दिनांक 10/01/2023

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा,
रोड रोशनपुरा चौराहा,टी0टी0 नगर के पास भोपाल (म.प्र.)

विषय निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

संदर्भ संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 5404/नग्रानि/सा./ 2022 भोपाल दिनांक 19/12/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय के परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन किराये पर लिया जाना है। कृपया संलग्न निविदा सूचना शहडोल के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न- प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना।

(नागेश पन्द्रो)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल (म.प्र.)

पृ0क्र0/ /स्था./नग्रानि/2023 शहडोल,दिनांक 10/01/2023

प्रतिलिपि;-

1. डॉ अमित कुमार गजभिये,संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी,संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ,म0प्र0 भोपाल कि ओर सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवाने एवं किन्ही दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. श्री राकेश कुमार मरकाम,सहायक सूचना प्रोदग़ोगिकी अधिकारी, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल कि ओर निविदा की शर्तो की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना एवं शर्तें।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल/उमरिया (मध्य प्रदेश)
Email _id shahdol@mptownplan.gov.in Ph 07652 292153

क्रमांक/ 02 /लेखा./नग्रानि/2023 शहडोल,दिनांक 10/01/2023

विज्ञप्ति

कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल पता-पुराना बस स्टैंड एस0पी0 बगलो के पीछे वार्ड न011 शहडोल जिला शहडोल (म0प्र0) के कार्यालय की परिवहन व्यवस्था के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाताओ के दिनांक 17/01/2023 सायं 5.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा जमा की जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की समस्त शर्ते तथा अन्य जानकारी किसी भी दिन कार्यालयीन समय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रुपये 200.00 (शब्दो में दो सौ मात्र) ई-चालान साईबर ट्रेजरी शीर्ष क्रमांक 0217-60-800-0171 अन्य प्राप्तियाँ में जमा कर प्राप्त की जा सकती है। वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल की website: mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है।

(नागेश पन्द्रो)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल/उमरिया (मध्य प्रदेश)
Email _id shahdol@mptownplan.gov.in Ph 07652 292153

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते-

1. वाहन किराये पर देने हेतु अनुबंध के रुपये 5000/- (रु पाँच हजार मात्र) की प्रतिभूति एफ़डी/किसान विकास पत्र/इंद्रा विकास पत्र के रूप मे कार्यालय मे जमा करनी होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापिस लौटा दिया जावेगा। लेकिन शर्तो का उल्लघन होने पर यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
2. यह अनुबंध 11 माह के लिये मान्य होगा एवं उससे अधिक 3 वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
3. परिवहन नियमों का उल्लघन कर वाहनों के संचालन या किसी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियों मे किसी भी प्रकार का जुर्माना की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।
4. वाहन म.प्र. राज्य मे RTO कार्यालय मे टेक्सी कोटे मे पंजीकृत होनी चाहिए, वाहनों के स्वामित् के संबंध मे किसी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए।
5. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल के दामों मे वृद्धि होती है तो निविदा मे दी गई राशि एवं अवधि के दौरान अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।
6. वाहन पूरे माह के लिये हर दिन बिना किसी अवकाश के समान्यतः प्रातः 9:30 बजे से शाम 7:30 तक कुल 10 घण्टे तक के लिये देना होगा। रात को वाहन सेवा अवधि मे वाहन कार्यालय मे रहेगा तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिये ले जाने की स्थिती मे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे उसी माडल का दूसरा वाहन उपलब्ध कराएँ जाने पर ही वाहन को छोड़ा जावेगा।इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नही देगा।
7. वाहनों के किलोमीटर की गणना संबन्धित उपयोग कर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रूप से भरी गई लॉग बुक मे हस्ताक्षर उपरांत ही मान्य होगा।
8. सभी वाहनों की कम्प्रीहेंसिव बीमा प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कमर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लाइसेन्स/प्रमाण पत्र, रोड टेक्स, सर्विस टेक्स अदा करने, उसे अद्यतन रखने के ज़िम्मेदारी एजेंसी/ट्रावल/वाहन स्वामी की होगी।

Nagesh

9. वाहन से संबन्धित मूल दस्तावेज़ वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक छायाप्रति कार्यालय मे जमा करनी होगी। वाहन जब्त होने स्थिति मे वाहन मालिक को सूचना देकर मासिक किराये का भुगतान कर दिया जावेगा।

10. यदि किसी विशेष कारणों से वाहन अथवा चालक किसी दिन उपलब्ध नही होता तो एसे हर दिवस की अनु उपलब्धता के देय राशि मे से दुगना प्रतिदिन की राशि निकालकर उसकी कटौती कर दी जावेगी, लेकिन बार बार पुनरावृत्ती होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जावेगा।

11. वाहन मे हमेशा टूल्स एवं स्टापनी होना आवश्यक है वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए एवं वाहन के चारों टायर/ट्यूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।

12. वाहन किराये पर लेने हेतु तय नियमों एवं शर्तों मे संशोधन का अधिकार सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश शहडोल को होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिती मे न्यायालयीन कार्य क्षेत्र शहडोल माना जायेगा।

14. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्ते वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगे।

15. निविदा के साथ रूपये 2000/-(शब्दो में दो हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट या नगद कार्यालय में जमा करना होगा जो निविदा खुलने पर लौटाई जाएगी।

16. कार्य क्षेत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्देशित रहेगा। जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जा रहा है।

Nagesh

(नागेश पन्द्रो)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय शहडोल (म.प्र.)